भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फैक्स Fax : 0172-2604671
दूरभाष Telephone :कार्यालयOffice: 2600031
Email : phc.gdc.soi@gov.in

पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी॰डी॰सी॰
सर्वे कॉम्पलैक्स, दक्षिण मार्ग,सैक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़-160 030

PUNJAB, HARYANA & CHANDIGARH G.D.C.,
SURVEY COMPLEX, DAKSHIN MARG,
SECTOR 32-A, CHANDIGARH-160030.

सं0 लेखा-4895/18-ए-5(पेंशन रूल्स) दिनांक : 04 -09-2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पेंशन अदालत आयोजित करने के संबंध में ।

भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 24-08-.2018 के पत्रांक ब0-5100/1117-पेंशन अदालत के अन्तर्गत प्राप्त सचिव, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पी0एण्ड पी0डब्ल्यू विभाग) के अर्ध-शासकीय पत्र सं0 42/11/2018 पी0एण्ड पी0डब्ल्यू0 (जी) दिनांक 10-07-2018 के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के चण्ड़ीगढ स्थित सभी कार्यालयों (उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, पंजाब, हरियाणा एवं चण्ड़ीगढ जी.डी.सी. एवं हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.) के पेशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त रूप से पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना है जोकि **दिनांक 18-09-2018 को प्रात: 10:30 बजे से 13:00 बजे तक** कार्यालय परिसर (मनोरंजन कक्ष 02) में होगी।

(के ए ग्रेवाल) ले0 कर्नल
निदेशक
पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी॰डी॰सी॰

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून (ध्यानाकर्षण :- स्थापना एवं लेखा अधिकारी-बजट) को सूचनार्थ । कृपया उक्त अदालत की बैठक में भाग लेने हेतु महासर्वेक्षक कार्यालय से **एक अधिकारी** को भेजने का अनुरोध किया जाता है ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अदालत की बैठक में भाग लेने हेतु **आप स्वयं या अपना प्रतिनिधि** भेजने के संबंध में शीघ्र **पुष्टि** करने की कृपा करें ।
4. निदेशक, हिमाचल प्रदेश जी॰डी॰सी॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. प्रभारी विभागीय वेबसाइट, देहरादून को ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे **"विभागीय वेबसाईट"** में प्रकाशित करने की कृपा करें ।
6. स्थापना एवं लेखा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इंडिया (Central Pension Processing Branch), सैक्टर 5, पंचकूला(हरियाणा) को इस अनुरोध के साथ कि वह उक्त अदालत में शामिल होने हेतु अपनी ब्रांच से एक अधिकारी को नामित कर इस कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें।

7\. समस्त यूनियन/एसोसियेशन के ब्रांच सेक्रेटरी, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ । उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर भी **पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों को विषयक अदालत के आयोजन के संबंध में अवगत करा सकते हैं** ।

8\. नोटिस बोर्ड पर ।